

तारीख
हुकम

18/11/2025

कौल उग्रपुत्र द्वारा पुरान फ्लो नही पा
बन्द मिया पाता है बहन तर्पना पत्र
मूनी गरी। स्वार्त्त निर्णय दिनांक 4/12/2025
को फ्लो ले।

सहायक कलेक्टर
(सुपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ़

11/2/2025

कौल उग्रपुत्र द्वारा निर्णय हेतु पत्रावली
फ्लो हुई। शेषित मे विवका इस प्रकार है
कि तार्वी को अपनी स्वतन्त्रता मा 10/2/2025
मौजा पत्राना पर पडूच हेतु मार्ग नही है।
तार्वी अपनी आराधना पर पडूच हेतु विपरीत
मे आराधना ले राता पाता है। स्वतन्त्र प्रमाण
द्वारा सिद्ध है अत्र तार्वी को परिये समान
तलब मिया। विपरीत लेखा 3 के विद्वद दिनांक
25/6/2024 को विपरीत लेखा 4 के विद्वद दिनांक
23/2/2021 व विपरीत लेखा 11 से 14 व 21 से 55/2
व 6 के विद्वद दिनांक 13/11/2025 को एक तलब
अर्पित मजल मे लगी गई। अत्र तार्वी लेखा 02
को मों से पत्रावली फ्लो नही लेने पुरान बन्द मिया
गया। पत्रावली मे मोंका मिया दिनांक 17/3/2021
ले प्राप्त हुई। हमने उग्रपुत्र अधिवक्ता की
बहन तर्प मे मूनी। कौल अतार्वी ने पुरान बहन
तर्पना पत्र मे मोंका तार्वी का अन्वीकार मिया
व तर्पना पत्र स्वतन्त्र मोंके जाने का विवेहन
मिया। कौल तार्वी ने तर्पना पत्र तर्पना मोंके
जाने का विवेहन मिया। हमने बहन पर
मसन मिया। पत्रावली के अन्वीकार मिया तर्पना
मोंका मिया दिनांक 13/2/2021 के अन्वीकार मिया
मोंका मिया अन्वीकार मे स्फुट है कि तार्वी
की आराधना पर पडूच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध

